



Neutral Citation No. – 2026:AHC:173938

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-सी संख्या – 14812 वर्ष 2026

श्रीमती प्रतिमा निषाद एवं अन्य

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थागण

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता

: अजय कुमार उपाध्याय

प्रत्यर्थागण की ओर से अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या – 75

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

- 1- याचीगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।
- 2- याचीगण की ओर से इस याचिका के माध्यम से, याचीगण एक परमादेश रिट जारी करने की माँग कर रहे हैं, जिसमें प्रत्युत्तरदातागण को, याचीगण के पति और पत्नी के रूप में शान्तिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश दिया जाय तथा संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश देने की माँग की गयी है कि वे याचीगण को सुरक्षा प्रदान करें।
- 3- याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचीगण वयस्क हैं और उन्होंने अपनी मर्जी और सहमति से बिना किसी दबाव के एक दूसरे के साथ विवाह कर लिया है और दोनों पति-पत्नी के रूप में दाम्पत्य जीवन

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



व्यतीत कर रहे हैं, याची सं. 01 हाईस्कूल की मार्कशीट की प्रतिलिपि एवं याची सं. 02 ने हाईस्कूल की मार्कशीट की प्रतिलिपि, याचिका के साथ संलग्न किया है, जिनके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दोनों याचीगण बालिग हैं। याचिका में दिए गए कथन याचीगण के संयुक्त हलफनामों द्वारा समर्थित हैं। इसके अलावा यह भी अनुरोध किया गया है कि निजी प्रत्युत्तरदाता और परिवार के अन्य सदस्य याचीगण द्वारा किए गए इस विवाह से नाराज हो गए हैं और उनके द्वारा याचीगण को धमकी दी जा रही है और उन्हें परेशान किया जा रहा है, जिसके कारण याचीगण के जीवन को गंभीर खतरा है।

4- याचीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि याचीगण ने अपने विवाह का पंजीकरण के लिए आवेदन कर दिया है, जो याचिका के साथ संलग्न है।

5- याचीगण ने याचिका में कहा है कि वे पति-पत्नी के रूप में रह रहे हैं तथा उन्हें आशंका है कि निजी प्रत्युत्तरदाता अपने परिवार के सम्मान के लिए घोर उपहति कारित अथवा उन्हें खत्म कर सकते हैं। यदि यह न्यायालय उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं करता है तो उनका जीवन खतरे में पड़ सकता है।

6- प्रस्तावित आदेश पारित किए जाने के दृष्टिगत निजी प्रत्युत्तरदाता को नोटिस जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से इस रिट याचिका को न्यायालय के नियमों के अनुसार इस स्तर पर अंतिम रूप से निस्तारण किया जा रहा है।

7- माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई निर्णयों में यह कानून तय किया है कि जहाँ एक लड़का और लड़की बालिग हैं और वे अपनी स्वतंत्र इच्छा से एक साथ रह रहे हैं तो उनके माता-पिता सहित किसी को भी उनके साथ रहने में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में *Gian Devi v. The Superintendent, Nari Niketan, Delhi and others*, (1976) 3 SCC 234; *Lata Singh v. State of*

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



U.P. and another, (2006) 5 SCC 475; तथा Bhagwan Dass v. State (NCT of Delhi), (2011) 6 SCC 396 का उल्लेख किया गया है, जिनका लगातार सुप्रीम कोर्ट तथा इस न्यायालय द्वारा अनुसरण किया गया है। इसी प्रकार इस न्यायालय के निर्णय Deepika and another v. State of U.P. And others, 2013 (9) ADJ 534 का भी उल्लेख किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने Gian Devi (supra) में निम्नलिखित व्यवस्था दी है:

“याचिकाकर्ता की जन्मतिथि चाहे जो भी हो, तथ्य यह है कि वर्तमान में उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है। चूंकि याचिकाकर्ता sui juris अर्थात् स्वयं अपने निर्णय लेने में सक्षम है, इसलिए उस व्यक्ति के चयन पर कोई बंधन नहीं लगाया जा सकता जिसके साथ वह रहना चाहती है और न ही उस स्थान के संबंध में कोई प्रतिबंध लगाया जा सकता है जहाँ वह रहना चाहती है। ऐसे मामले में न्यायालय अथवा याचिकाकर्ता के रिश्तेदार भी अपनी राय या पसंद को याचिकाकर्ता की राय या पसंद के स्थान पर प्रतिस्थापित नहीं कर सकते।”

8- मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत इस न्यायालय का मत है कि याचीगण एक साथ रहने के लिए स्वतंत्र हैं तथा किसी भी व्यक्ति को उनके शांतिपूर्ण जीवन निर्वाह करने में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि याचीगण के शांतिपूर्ण जीवन निर्वाह में कोई व्यवधान उत्पन्न होता है तो याचीगण संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (प्रत्युत्तरदाता सं० 2) से इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ संपर्क करेंगे, और उक्त प्रत्युत्तरदाता सं० 2 को निर्देशित किया जाता है कि वे याचीगण को तत्काल सुरक्षा प्रदान करेंगे।

9- निजी प्रत्युत्तरदाता को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि यदि याचीगण द्वारा अभिलेख पर लाए गए दस्तावेज मनगढ़न्त या फर्जी हैं तो वे इस आदेश को वापस लेने के लिए रिकॉल आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



10- चूंकि (2006) 2 SCC 578 and (2008) 1 SCC 180 Seema (Smt.) Vs Ashwani Kumar, मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है, इसलिए याचीगण आज से 02 माह के अन्दर अपने विवाह का पंजीकरण कराने का वचन देते हैं।

11- यदि याचीगण उपरोक्त निर्धारित अवधि के भीतर अपने विवाह का पंजीकरण नहीं करा पाते हैं तो इस आदेश के तहत दी गयी सुरक्षा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।

12- यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने याचीगण के कथित विवाह पर कोई निर्णय नहीं दिया है और यह आदेश किसी भी तरह से याचीगण के विवाह की वैधता के बारे में कोई राय नहीं व्यक्त करता है।

13- उपरोक्त टिप्पणियों के साथ यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है। मूल्य के बारे में कोई आदेश नहीं पारित किया जा रहा है।

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

18 अगस्त, 2026

एस. मिश्रा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”